प्रेस नोट *दिनांक 16.04.2026*

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 16.04.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के दौरान यातायात पुलिस एवं जनपद के समस्त थानो द्वारा संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग, बिना वैध कागजात, नाबालिगों द्वारा वाहन संचालन एवं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चेकिंग की गयी।

अभियान के अंतर्गत 46 टीम गठित कर जनपद के 65 स्थानों पर बदल बदलकर 1500 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 351 वाहनों को विभिन्न धारोओ में चालान एवं 02 वाहन को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 9500 /- (नौ हजार पांच सौ) रुपये थाना दोहरीघाट साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस -

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना दोहरीघाट जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 9500 /- (नौ हजार पांच सौ) रुपये पीड़ित पवन यादव पुत्र श्री नगीना यादव निवासी इन्दरपुर भलया थाना दोहरीघाट जनपद मऊ की कुल 9500 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना सरायलखन्सी के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार

व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

1. आपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 06 दोषसिद्ध अभियुक्तों को 03 वर्ष के कारावास की सजा एवं ₹ 6000 के अर्थदंड के दंड से हुए दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरान्त मा0 न्यायालय सीजेएम कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा द्वारा दिनांक 16-04-2026 को मु0अ0सं0 806/2020 धारा 323, 452, 352, 504, 506, 427 भादवि का अभियोग थाना घोसी जनपद मऊ मे दोषसिद्ध अभियुक्तगण 1. कलयुग गिरी उर्फ़ शेषनाथ पुत्र जीउत गिरी 2. संजय गिरी पुत्र रामकरन गिरी 3. विभूति गिरी पुत्र वंशराज गिरी 4. सवरू पुत्र राजकुमार 5. शेरु गिरी पुत्र राजकुमार 6. जीउत गिरी पुत्र वंशराज गिरी निवासीगण बैरासी थाना घोसी जनपद मऊ को उक्त अपराध मे 03 वर्ष के कारावास की सजा एवं ₹6000 के अर्थदंड से दंडित किया गया अर्थ दण्ड न देने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार का0 कमलेश भारती का सराहनीय योगदान रहा।

2. आपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को 02 माह का साधारण कारावास की सजा व 500 अर्थ दण्ड हुआ दण्डित -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरान्त मा0 न्यायालय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट, जनपद मऊ दिनांक 16-04-2026 को मु0अ0सं0 1440/2011 धारा 294 भादवि थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ मे दोषसिद्ध अभियुक्त देवदत्त पूरी पुत्र कन्हैया पुरी निवासी मुंगेसर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को उक्त अपराध मे 02 माह का साधारण कारावास की सजा व 500 अर्थ दण्ड अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास स दण्डित किया जायेगा ।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री अनिल यादव, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार का0 आशीष कुमार का सराहनीय योगदान रहा।

सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए 14 लोगो के विरुद्ध की गयी विधिक कार्यवाही -

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्वेक्षण में दिनांक 16.04.2026 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानो पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले तथा आम जन मानस को परेशान करने वाले 14 व्यक्तियो को थाने पर लाया गया तथा उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।